प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 1874 /पि0व0क0/2015–16 लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2015

विषयः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं/छात्रों का रेण्डम स्थलीय सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कृपया समाज कल्याण अनु0–3,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–127/2015/4023/26–3–2015 दिनांक 03.11.2015 एवं शासनादेश संख्या–132/2015/4067/26–3–2015 दिनांक 09.11.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से भी कम से कम 10 प्रतिशत संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का रैंडम आधार पर चयन कर भौतिक निरीक्षक करेंगे। रैंडम लिस्ट स्कॉलरशिप पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकेगा। यह सुविधा पोर्टल पर दिनांक 07 नवम्बर, 2015 से उपलब्ध हो जायेगी। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण स्कॉलरशिप पोर्टल के "Inspection Module" में अंकित की जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट अपने कार्यालय में कम से 01 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेंगी। आवश्यकतानुसार नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित तथा " ,missing" छात्रों की भौतिक जॉच उनके द्वारा आवेदन–पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नम्बर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित शासनादेश आपको निदेशालय पत्रांक–1768/पि0व0क0/2015–16 दिनांक 09.11.2015 एवं पत्र संख्या–1826/पि0व0क0/2015–16 दिनांक 21.11.2015 द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं। राज्य एन0आई0सी0 स्तर से आपकी लॉगिन पर "Inspection Module" का प्रारूप भी उपलब्ध करा दिया गया है। शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रों के स्थलीय सत्यापन हेतु रैंडम सेलेक्शन का साफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर कुल शिक्षण संस्थाओं का 10 प्रतिशत एवं छात्रों का 5 प्रतिशत रैंडम सेलेक्शन करते हुए स्थलीय सत्यापन आपके स्तर से कराया जाना है तथा इसकी रिपोर्ट अपने कार्यालय में 01 वर्ष तक सुरक्षित रखने के साथ–साथ रिपोर्ट की एक प्रति इस निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थलीय सत्यापन करते हुए सत्यापन रिपोर्ट "Inspection Module" के प्रारूप पर इस निदेशालय को उपलब्ध

कराना सुनिश्चित करें तथा शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट 01 वर्ष तक अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 1874 / पि0व0क0 / 2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग।
2– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0–2 ।
3– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।